न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—248/2018/223 (2018/00248)

1. बिसमिला पत्नि अब्दुल हकीम,
2. इस्माईल पुत्र अब्दुल हकीम,
3. चांद मौहम्मद पुत्र अब्दुल हकीम,
4. ईसाक पु अब्दुल हकीम,
5. सहीदन पुत्री हकीम,
6. चांदी पुत्री अब्दुल हकीम,

समस्त जाति हरसोरी, नि0 ग्राम सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 9.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 123/2016.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 21.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सरवाड़ की आराजी खसरा संख्या 803/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 804 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1955 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा स्थित है । विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के शिकमी खातेदारी में दर्ज है जो कि पूर्व में वादीगण के पति/पिता अब्दुल हकीम पुत्र असरफ खां के नाम दर्ज थी । उनकी मृत्यु हो जाने पर विरासत से जरिये नामांतकरण संख्या 3833 दिनांक 5.2.2016 वादीगण के नाम दर्ज है । आराजी खसरा नंबर 1955 के पुराने खसरा नंबर 3726/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 3729 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 3730 रकबा 1 बीघा रहे है । वादीगण के पति व पिता ने साबिक खसरा नंबर 3726/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा तत्कालीन खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जो जरिये नामांतकरण संख्या 234 दिनांक 10.8.1960 से वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई तथा खसरा

नंबर 803/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खरीद से जरिये नामांतकरण संख्या 59 दिनांक 20.7.1965 के तत्कालीन खातेदार सूरजसिंह पुत्र दौलतसिंह महाजन से वादीगण के पूर्वज अशरफ खां पुत्र अल्लानूर की खातेदारी में दर्ज हुई तथा खसरा संख्या 804 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जरिये नामांतकरण संख्या 108 दिनांक 13.8.1960 से वादीगण के पूर्वज अशरफ खां के खातेदारी में दर्ज हुई है । वर्तमान खसरा नंबर 1955 के पुराने खसरा नंबर 372/2, 3729, 3730 है । वादीगण के पूर्वज अशरफ खां के नाम 3729 व 3730 पूर्व में जमाबंदी संवत् 2006 में शि0म0 दर्ज है तत्पश्चात् लगातार उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होकर वर्तमान तक उक्त आराजी पर वादीगण शिकमी खातेदार दर्ज चले आ रहे है तथा शेष आराजियात भी इसी खाते में राजस्व अधिकारियों की गलती से दर्ज कर देने के कारण संपूर्ण आराजी शिकमी दर्ज हो गई, जिसका रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में वाद वादीगण खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती इद्रांज व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर तलबी प्रतिवादी जारी की । जिस पर पत्रावली लगातार इंतजार सम्मन नियत रही । दिनांक 9.5.2018 को जवाब सरकार प्रस्तुत हुआ एवं उसी दिन तनकियात कायम की गई और वकील वादी शहादत पेश करना नहीं चाहता है, सीधे बहस करना चाहते है, प्रतिवादी पेरोकार सरकार भी शहादत प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है, गलत रूप से अंकित करते हुए अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण ने वादपत्र के पैरा संख्या 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि साबिक खसरा नंबर 3726/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा तत्कालीन खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जो जरिये नामांतकरण संख्या 234 दिनांक 10.8.1960 से वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई तथा खसरा नंबर 803/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खरीद से जरिये नामांतकरण संख्या 59 दिनांक 20.7. 1965 के तत्कालीन खातेदार सूरजसिंह पुत्र दौलतसिंह महाजन से वादीगण के पूर्वज अशरफ खां पुत्र अल्लानूर की खातेदारी में दर्ज हुई तथा खसरा नंबर 804 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जरिये नामांतकरण संख्या 108 दिनांक 13.8.1960 से वादीगण के पूर्वज अशरफ खां की खातेदारी में दर्ज हुई लेकिन बाद में उक्त आराजी को भी इसी खाते में राजस्व अधिकारियों की गलती से शिकमी खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त आधार पर वादीगण का वाद खातेदारी डिक्री किया जाना न्यायसंगत था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से उक्त खसरा नंबर की संवत् 2006 से 2015–18 की स्थिति प्रस्तुत नहीं करना अंकित करते हुए वाद खारिज किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया साबित किया था जिसके आधार पर वाद डिक्री किये जाने योग्य था । बहस समें आगे कथन किया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा खसरा नंबर 3729 एवं 3730 बाबत् संपूर्ण खसरा गिरदावरियां अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें वादीगण शिकमी काश्तकार दर्ज है तथा वर्तमान तक वादीगण शिकमी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे है जिससे वादीगण राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार हो गये है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से शिकमी

खातेदार दर्ज किया हुआ है । अधी0न्याया0 की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 8.3.2018 तक इंतजार सम्मन में नियत होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.5.2018 नियत की गई तथा दिनाक 9.5.2018 को जवाब सरकार प्रस्तुत हुआ तथा उसी दिन तनकियात कायम की गई और वकील वादी शहादत पेश नहीं करना चाहते है, सीधे बहर करना चाहते है, प्रतिवादी पेरोकार सरकार भी शहादत पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहते है, अंकित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि वादीगण द्वारा शहादत पेश करने से कभी भी इंकार नहीं किया गया है । आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद बिना वादीगण एवं उनके अधिवक्ता को सूचित किये राजस्व लोक अदालत शिविर में नियत कर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने वादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2003 पेज 260, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 806 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादीगण विवादित आराजियात की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में वाद दिनांक 5.10.2016 को पेश किये जाने के उपरांत पत्रावली लगभग 15 पेशियों तक इंतजार सम्मन विचाराधीन रही । इसके उपरांत दिनांक 9.5.2018 को राज्य सरकार की और से जवाब प्रस्तुत किये जाने पर इसी दिनांक को अधी0न्याया0 ने प्रकरण में तनकियात कायम कर अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी वकील शहादत पेश करना नहीं चाहते है, सीधे ही बहस करना चाहते है, प्रतिवादी पैरोकार सरकार भी शहादत पेश करना नहीं चाहते है, सीधे ही बहस करना चाहते है । इस संबंध में अपीलांटस का दौराने बहस यह कथन रहा है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा कभी भी शहादत से इंकार नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनाक 9.5.2018 को ही तनकियात कायम की जाकर उसी दिन पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण में बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वाद में तनकियात कायम किये जाने के उपरांत उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को उसी दिन जल्दबाजी में निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता हैं। अधी0न्याया0 को तनकियात को शहादत, साक्ष्य, सबूत से सिद्ध करने का न्यायहित में अवसर दिया जाना चाहिये था । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर